




29 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 6.300 है०, वारानी 6.1500 है० गै० मु० रास्ता 0.1500 है० खातेदारी में वादी के दादा हरलाल के नाम से 166 हिस्सा दर्ज हैं में से वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 9 व 13 ता 15 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोशनलाल व प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण, प्रतिवादी सं० 10 रघुवीर, प्रतिवादी सं० 11 मंदरूप, प्रतिवादी सं० 12 राजेश कुमार बादी को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
सहायक सत्यनारायण  
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 260/2020

1. रोशनलाल पुत्र कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।

:- वादी

**ब न अ म**

1. कृष्ण पुत्र हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
2. भतेरी पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
3. शांती पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
4. विमला पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
5. नानकी पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
6. मैना पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
7. रामस्वरूप पुत्र केला पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
8. निर्मला पुत्री केला पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
9. माया पुत्री केला पुत्री हरलाल जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
10. रघुवीर पुत्र कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
11. मंदरूप पुत्र कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
12. राजेश कुमार वादी पुत्र कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
13. धापादेवी पुत्री कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
14. कितावी पुत्री कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
15. सरोजदेवी पुत्री कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण त० भादरा।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसरा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 07/07/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही रोही मोजा चक 7 जेजीडब्ल्यू खाता सं० 7/6 के मु० न० 25 किला न० 17, 18, 23 ता 25 कुल 1.265 है० नहरी व रोही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 12/14 के मु० न० 44 किला न० 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु० न० 45 किला न० 1, 9 ता 12, 19 ता 22, मु० न० 65 किला न० 1, 2, 9, 10 मु० न० 66 किला न० 4 ता 7, मु० न० 70 किला न० 1 ता 3, 4/1, 4/2, 5 ता 7, 8/1, 8/2, 9 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 16, 25 कुल 10.512 है०, नहरी 4.1870 है०, बरानी 6.3250 है० व रोही 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 22/18 के मु० न० 11 किला न० 16, 17, 24, 25, मु० न० 12 किला न० 20, मु० न० 19 किला न० 4 व 5

कुल 1.171 है०, नहरी 1.6460 है०, गै० मु० रास्ता 0.125 है० खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 ता 6 के नाम व प्रतिवादी सं० 7 ता 9 की माता केला के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व रोही चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 221/224 के मु० न० 25 किला न० 11 ता 13, 18 ता 23, मु० न० 26 किला न० 14 ता 17, 24 व 25 मु० न० 28 किला न० 4 ता 7, मु० न० 29 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 6.300 है०, बाराणी 6.1500 है० गै० मु० रास्ता 0.1500 है० खातेदारी में वादी के दादा हरलाल के नाम से 166 हिस्सा दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता हरलाल की खातेदारी हुआ करती थी। हरलाल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 ता 6 व 7 ता 9 ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 15 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं० 16 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू रोशनलाल पुत्र कृष्ण जाति वादी निवासी निनाण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम 10 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही 7 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत निनाण 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने 7 जेजीडब्ल्यू, 8 जेजीडब्ल्यू, 10 जेजीडब्ल्यू, 11 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में हरलाल के एक पुत्र कृष्ण व छः पुत्री शांतीदेवी, मैनादेवी, विमालादेवी, जसवीर कौर, कृष्णादेवी, केलादेवी) चुंकि केलादेवी की मृत्यू होने के कारण केलादेवी के जायज वारिसान में रामस्वरूप पुत्र केलादेवी, दो पुत्री मायादेवी व निर्मला) के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 7/6 के मु० न० 25 किला न० 17, 18, 23 ता 25 कुल 1.265 है० नहरी व रोही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 12/14 के मु० न० 44 किला न० 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु० न० 45 किला न० 1, 9 ता 12, 19 ता 22, मु० न० 65 किला न० 1, 2, 9, 10 मु० न० 66 किला न० 4 ता 7, मु० न० 70 किला न० 1 ता 3, 4/1, 4/2, 5 ता 7, 8/1, 8/2, 9 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 16, 25 कुल 10.512 है०, नहरी 4.1870 है०, बाराणी 6.3250 है० व रोही 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 22/18 के मु० न० 11 किला न० 16, 17, 24, 25,

मु० न० 12 किला न० 20, मु० न० 19 किला न० 4 व 5 कुल 1.171 है०, नहरी 1.6460 है०, गै० मु० रास्ता 0.125 है० खातदोरी में प्रतिवादी सं० 1 ता 6 के नाम व प्रतिवादी सं० 7 ता 9 की माता केला के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व रोही चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 221/224 के मु० न० 25 किला न० 11 ता 13, 18 ता 23, मु० न० 26 किला न० 14 ता 17, 24 व 25 मु० न० 28 किला न० 4 ता 7, मु० न० 29 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 6.300 है०, वारानी 6.1500 है० गै० मु० रास्ता 0.1500 है० खातेदारी में वादी के दादा हरलाल के नाम से 166 हिस्सा दर्ज हैं में से वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं० 2 ता 9 व 13 ता 15 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 7/6 के मु० न० 25 किला न० 17, 18, 23 ता 25 कुल 1.265 है० नहरी व रोही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 12/14 के मु० न० 44 किला न० 6, 7, 14 ता 17, 24 व 25, मु० न० 45 किला न० 1, 9- ता 12, 19 ता 22, मु० न० 65 किला न० 1, 2, 9, 10 मु० न० 66 किला न० 4 ता 7, मु० न० 70 किला न० 1 ता 3, 4/1, 4/2, 5 ता 7, 8/1, 8/2, 9 ता 12, 13/1, 13/2, 14 ता 16, 25 कुल 10.512 है०, नहरी 4.1870 है०, वारानी 6.3250 है० व रोही 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 22/18 के मु० न० 11 किला न० 16, 17, 24, 25, मु० न० 12 किला न० 20, मु० न० 19 किला न० 4 व 5 कुल 1.171 है०, नहरी 1.6460 है०, गै० मु० रास्ता 0.125 है० खातदोरी में प्रतिवादी सं० 1 ता 6 के नाम व प्रतिवादी सं० 7 ता 9 की माता केला के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। व रोही चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 221/224 के मु० न० 25 किला न० 11 ता 13, 18 ता 23, मु० न० 26 किला न० 14 ता 17, 24 व 25 मु० न० 28 किला न० 4 ता 7, मु० न० 29 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 6.300 है०, वारानी 6.1500 है० गै० मु० रास्ता 0.1500 है० खातेदारी में वादी के दादा हरलाल के नाम से 166 हिस्सा दर्ज हैं में से वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं० 2 ता 9 व 13 ता 15 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1, 10 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोशनलाल व प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण, प्रतिवादी सं० 10 रघुवीर, प्रतिवादी सं० 11 मंदरूप, प्रतिवादी सं० 12 राजेश कुमार वादी को वहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०३/०३/११ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक न्यायालय  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़